यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**2926 सन् 2026**

विक्रम पुत्र हरिश्चन्द .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–357 सन् 2012

अन्तर्गत धाराः–60 आबकारी अधिनियम।

थानाः–गुलावठी, जिला बुलन्दशहर,

–:: निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::–

01. आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

03. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनॉक–9.11.2012 को समय 10.30 बजे आवेदक/ अभियुक्त की निशानदेही पर हरियाणा मार्का अग्रेंजी शराब वैस्टो विस्की के 150 पब्बे नाजायज रूप से बरामद हुए।

03. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदक को झूंठा फसाया गया है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। वह थाने से जमानत पर है। इन कथनों के आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

04. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त को थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया था। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

05. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. आवेदक/ अभियुक्त पर आरोपित अपराध सात वर्ष से अधिक के दण्ड से दण्डनीय नहीं है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। दौरान विवेचना आवेदक/ अभियुक्त को थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया है। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण वर्ष 2012 का है। अभियोजन की ओर से इस स्तर पर यह कथन नहीं किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त को हिरासत में लेकर किसी वस्तु अथवा सम्पत्ति की बरामदगी किया जाना आवश्यक है। विचारण में समय लगने की संभावना है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचारण की समाप्ति तक स्वीकार किये जाने का आधार पाता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

01. आवेदक/ अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
02. आवेदक/ अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।
03. आवेदक/ अभियुक्त अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.06 16:36:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

04. आवेदक/अभियुक्त आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगा,

05. आवेदक/ अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व द0प्र0सं0 की धारा 313 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व द0प्र0सं0 की धारा 313 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

06. आवेदक/ अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा

आवेदक/अभियुक्त आदेश की दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस आदेश के अनुक्रम में अंकन–30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(संजय सिह–।)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 06.06.2026

आई0डी0 क्रमांक–यू0पी0–2015

शिवम गौड़–पी0ए0,